

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/86

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	देशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना पत्र	14/2024	14/2/24	11/05/24	12/3/24

अनवान

श्री मंगललाल S/O जीतमल धाड

श्री बडीलाल S/O नोला धाड

निवासी लक्ष्मीनिवास / लक्ष्मपुरा तह.
बिजौलिया

निवासी निवासी - लक्ष्मपुरा तह. बिजौ.

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुंटेरा धाड

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम






बिजौलियां

गान्नालाल

बनाम त. प्री. लाल

किस्म मुकदमा - 111-128

नम्बर 14 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/2 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/3/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
12/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिवाक्य वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 12/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी</p>	
16/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिवाक्य वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी</p>	
23/01/24	<p>पत्रावली पेश हुई। माध्यमता पार्टी उपस्थित/विपक्षीय की बाद - तलबी प्राप्त हुई, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीयण बाद खरना अनुपस्थित, पत्रावली में ख. पक्षीय भादेशा पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 01/05/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	
01/05/24	<p>पत्रावली पेश हुई। माध्यमता पार्टी उपस्थित। पत्रावली में भादेशा/निर्णय पारित किए गए एवं पालना के लिए तलबीपद, बिजौलियां के निम्न किया। पत्रावली पेंसबन शुमार होकर, नम्बर से कम होकर पारित दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 14/24

तारीख दायर 14/2/24

मन्नालाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास उर्फ लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भूरालाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मोहनलाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. जगदीश पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. गोपाल लाल पुत्र उदयलाल जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 267 पर अंकित आराजी संख्या 572/204, 573/204 कुल किता 2 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर, विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 267 पर अंकित आराजी संख्या 572/204, 573/204 कुल किता 2 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिख जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया.



3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 14/24

तारीख दायर 14/02/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या14..... / 2024 पत्थरगढी बाबत।

मन्नालाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास उर्फ लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भूरालाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मोहनलाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. जगदीश पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. गोपाल लाल पुत्र उदयलाल जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 267 पर अंकित आराजी संख्या 572/204, 573/204 कुल किता 2 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं कमिश्नर फीस रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा